संख्या- /2024/1661/एक-5-2023-06/2023

प्रेषक,

अनिल कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उ0प्र0, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-5 **लखनऊ :: दिनांक फरवरी, 2024**

विषय- जनपद महराजगंज मुख्यालय पर आडिटोरियम के निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-1657/12-भवन-38/87टी0सी0 दिनांक 13.12.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद महराजगंज मुख्यालय पर आडिटोरियम के निर्माण कार्य हेतु नामित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन का प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित लागत रू0 1522.21 लाख जी0एस0टी0 सहित की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में रू0 267.04 लाख (रू0 दो करोड सड़सठ लाख चार हजार मात्र) अवमुक्त कर नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते है:-

(1) राजस्व परिषद द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि नियमानुसार आहरित कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 को उक्त प्रयोजन हेतु उपलब्ध करा दी जायेगी।

(2) वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत करने विषयक वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 यथासंशोधित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 19 सितम्बर, 2023 में निहित व्यवस्थानुसार राजस्व परिषद द्वारा इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि कार्यदायी संस्था को जो धनराशि अवमुक्त की जायेगी वह कार्य की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए।

(3) कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय।

(4) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(vii) में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो के गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानीटरिंग भी किया जायेगा।

(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 26 अगस्त, 2014 में दिये गये निर्देश के आलोक में कार्य की वास्तविक लागत के आधार पर नियमानुसार व्यय किये जाने के उपरान्त यदि धनराशि शेष बचती है तो उसे निर्धारित प्रक्रियानुसार राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(8) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(9) लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(10) प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(11) वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत करने विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 यथासंशोधित कार्यालय-ज्ञाप सं0- 10/2023/ बी 0-1-60 / दस- 2023-231/2023 दिनांक 19 सितम्बर, 2023 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि एवं स्वीकृत लागत में ही अवश्य पूर्ण करा लिया जायेगा।

(13) अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिए सुसंगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(15) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सम्मिलित कर दी गई है। कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्य मद में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(16) वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत करने विषयक वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 में निहित व्यवस्थानुसार राजस्व परिषद द्वारा इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि कार्यदायी संस्था के पास कार्य की आवश्यकता से अधिक धनराशि न हो।

(17) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित वाह्य विद्युत संयोजन हेतु एकमुश्त लागत रू0 6.00 लाख की धनराशि ली गई है, जिसे यथावत् अनुमन्य कर दिया गया है। निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व विद्युत विभाग से विस्तृत आगणन प्राप्त करते हुए सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त की जाय।

(18) प्रायोजनान्तर्गत Precision Airconditioning System- 70TR, C.C. T.V. & Digital Signage की लागत लो0नि0वि0 की कुर्सी क्षेत्रफल दर वर्ष 2020 के आधार पर प्रस्तावित किया गया है। पी0एफ0ए0डी0 द्वारा उक्त कार्य मदों की लागत उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता (भवन वर्ग), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 10.10.2023 के अनुसार आंकलित की गई है। अतः उक्त कार्यमदों के क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त कर सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरान्त कार्य कराया जाय।

(19) प्रायोजना प्रस्ताव में प्रस्तावित कतिपय कार्य मदें यथा- आडिटोरियम चेयर्स, स्टेज लाइट एण्ड साउण्ड सिस्टम, स्टेज कर्टेन, प्रोजेक्टर आदि की दरें कोटेशन/बाजार दर पर प्रस्तावित की गई हैं। क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर कोटेशन प्राप्त करें।

(20) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत फायर फायटिंग संबंधी कार्य नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप हैं।

(21) प्रायोजना के संबंध में नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक आपत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर से प्रायोजना की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जायेगी।

(22) प्रायोजनान्तर्गत कोई अन्य उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों का इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-50 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-02-प्रदेश के मण्डल/जनपद/तहसीलों के अनावासीय भवनों के नवनिर्माण/पुनर्निर्माण/विस्तार/ सुदृढीकरण एवं भूमि क्रय हेतु एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई0-5-159/दस-2023-24 दिनांक 09 फरवरी, 2024 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या- /2024/1661(1)/एक-5-2023-06/2023 :: तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- कोषाधिकारी, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6- जिलाधिकारी, महराजगंज।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, गोमती बैराज, बायां तट, लखनऊ/परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, यूनिट-29, गोरखपुर।
8- श्री राम केवल, विशेष सचिव/नोडल अधिकारी बजट एलाटमेन्ट सिस्टम, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
9- राजस्व अनुभाग-6
10- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार यादव)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।